(५२)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 ।

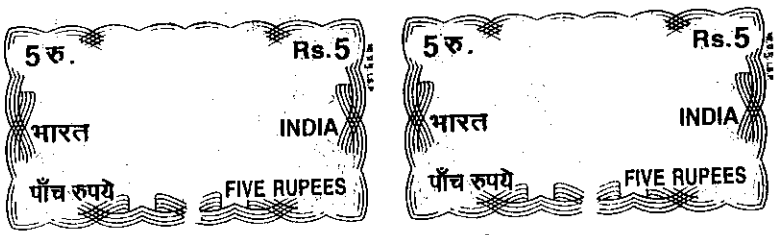

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1- नागेश्वर सिंह तनय श्री केशव सिंह ---- आवे0/निग0।

निग-3725-II/16

बनाम

1- शेषमणि सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह वगै0 ------- गैर निग0/अना0।

निगरानी ---- ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत 47 म0प्र0भू0रा0सं0 ।

मान्यवर,

निवेदन है कि उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नही हुई है, प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाएगी । आवेदक, अना0 के द्वारा दी गयी छायाप्रति के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है, जो निगरानी को दायर किए जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है ।

अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की कृपा की जाय ।

नागेश्वर सिंह

आवेदक / निगरानी कर्ता -

दिनांक 27/10/016

नागेश्वर सिंह तनय श्री केशव सिंह

निवासी वीरखाम तह0 सेमरिया जिला

रीवा म0प्र0 ।

द्वारा अधि0-

वीरेन्द्र कुमार सिंह ए50

वीरेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट पेश 27-10-16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3725–दो/16 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–12–17	आवेदक अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार सिरमौर वृत्त शाहपुर के जिला रीवा के प्रकरण कमांक 88/ए–12/95–96 में पारित आदेश दिनांक 12–7–96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश दिनांक 12–7–96 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27–10–16 को अर्थात 20 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब के संबंध में कोई आधार अंकित नहीं किया है न ही यह अंकित किया है कि आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी कब और कैसे हुई। दर्शित परिस्थितियों में 20 वर्षों से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	